ए.

1382 जेलों में पुनः मानव शर्तें (2013 की रिट याचिका (सिविल) No.406)

सितंबर 25,2018

[मदन बी. लोकुर, एस. अब्दुल नजीर और दीपाक गुप्ता, जे. जे.]

बी.

जनहित याचिका-जेल सुधार-जेल प्रशासन और जेल प्रबंधन में सुधारों की सख्त आवश्यकता-आयोजितःकेंद्र सरकार ने जेल सुधारों पर एक उच्चतम न्यायालय समिति के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जिसमें शामिल हैंः(i) उच्चतम न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष के रूप में; (ii) पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो इसके सदस्य के रूप में; (iii) महानिदेशक (कारागार) तिहाड़ जेल, नई दिल्ली इसके सदस्य के रूप में-समिति ने निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें अपने संदर्भ की शर्तों के रूप में देने का निर्देश दियाः1) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यू. टी.) द्वारा मॉडल जेल नियमावली, 2016 में निहित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा;2) महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति द्वारा संसद में 'महिला निरोध और न्याय तक पहुंच' शीर्षक से पेश की गई अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा और इस संबंध में गृह मंत्रालय (एम. एच. ए.) द्वारा जारी परामर्श;3) पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) द्वारा तैयार किए गए जेल कर्मियों के लिए दो प्रशिक्षण नियमावली, 'जेल अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण नियमावली 2017' और 'जेल वार्डरों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण नियमावली 2017' की समीक्षा करना और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अग्रेषित करना।4) राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में 'जेलों में महिलाएं' पर की गई सिफारिशों की समीक्षा करें।5) राष्ट्रीय महिला आयोग की 'जेलों/जेलों/अभिरक्षा गृहों में रहने वाली महिलाओं के निरीक्षण' पर रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की समीक्षा करें।6) महिला और बाल विकास मंत्रालय (एम. डब्ल्यू. सी. डी.) द्वारा तैयार किए गए 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति' में निहित दिशानिर्देशों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियमों के तहत एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा तैयार किए गए मॉडल नियमों और प्रक्रियाओं के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा करें।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

78 ए.

79

1382 जेलों ए में पुनः मानव शर्तें

2016;7) एम. एच. ए. द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी दिशा-निर्देशों और परामर्शों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करना;8) समिति उपरोक्त के आधार पर अपनी समेकित सिफारिशें दे सकती है और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध बजटीय संसाधनों के अधीन उपरोक्त दिशानिर्देशों और परामर्शों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपाय सुझा सकती है।9) जेलों और सुधार गृहों में भीड़भाड़ की सीमा की जांच करना और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना, जिसमें विचाराधीन समीक्षा समितियों के कामकाज की जांच, कानूनी सहायता और सलाह की उपलब्धता, छूट, पैरोल और फर्लो देना शामिल है।10) जेलों और सुधार गृहों में हिंसा की जांच करना और अप्राकृतिक मौतों को रोकने के उपायों की सिफारिश करना और जेलों और सुधार गृहों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करना और इस संबंध में सिफारिशें करना;11) जेलों और सुधार गृहों में कर्मचारियों की उपलब्धता और अपर्याप्तता का आकलन करना और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना;12) सुझावों को लागू करने की दृष्टि से जेलों और सुधार गृहों में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक मॉड्यूल का सुझाव देना;13) खुला कारागार स्थापित करने की व्यवहार्यता, देश के विभिन्न हिस्सों में खुला कारागार स्थापित करने की संभावना और क्षमता का आकलन करना और सिफारिशों को प्रभावी बनाना;14) महिला कैदियों के नाबालिग बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सहित उनके मनो-सामाजिक कल्याण के लिए कदमों की सिफारिश करना;15) किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत साबित अवलोकन गृहों, सुरक्षा स्थलों और विशेष गृहों में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के उपायों की जांच और सिफारिश करना।16) आम तौर पर, कोई अन्य सिफारिश जो समिति जेलों और सुधार गृहों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उचित, उपयुक्त और उचित समझे;17) समिति अपने सुझाव और सिफारिशें देते समय आधुनिक जेल नियमावली, 2016 में निहित विभिन्न दिशा-निर्देशों में परिवर्तन या संशोधन का भी सुझाव दे सकती है और

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए विभिन्न निर्देश भी-समिति को आगे अपनी प्रक्रिया तैयार करने और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक तौर-तरीके तैयार करने और सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों से जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

80 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2018] 12 एस. सी. आर.

सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों ने समिति-भारत का संविधान-कला द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद आगे के आदेशों के लिए सूचीबद्ध किए जाने वाले मामलों के साथ पूर्ण सहयोग बढ़ाने का निर्देश दिया।21 और 32-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016।

बी.

रीःबच्चे की डेंगू से मृत्यु के बाद माता-पिता द्वारा जीवन समाप्त करने पर आक्रोश, (2016) 10 एस. सी. सी. 709; पुनः:तमिलनाडु बनाम भारत संघ में शरण आग में 25 जंजीरबंद कैदियों की मौत,

(2002) 3 एससीसी 31:[2002] 1 एस. सी. आर. 839:भारतीय

महिला का कहना है कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज, (2014) 2 एससीसी 786 में प्रकाशित ग्राम न्यायालय के आदेश पर सामूहिक बलात्कार किया गया; एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ [ओलियम गैस]

सी.

लीक] (1986) 2 एस. सी. सी. 176:[1986] 1 एससीआर 312;

पं. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, (1989) 4 एस. सी. सी. 286:[1989] 3 एस. सी. आर. 997; बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ (2011) 5 एस. सी. सी. 1; प्रेम शंकर शुक्ला

डी.

बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) 3 एससीसी 526:[1980] 3

एस. सी. आर. 855; शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1983) 2 एससीसी 96:[1983] 2 एससीआर 337; D.K.Basu बनाम स्टेट ऑफ डब्ल्यू. बी. (1997) 1 एस. सी. सी. 416:[1996] 10 पूरक।

एससीआर 284; बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ

ई.

(1997) 10 एससीसी 549:[1997] 2 एससीआर 379; संपूर्ण

बेहुरा बनाम भारत संघ (2018) 4 एस. सी. सी. 433:स्वराज अभियान बनाम भारत संघ (2016) 7 एस. सी. सी. 498

कारण बनाम भारत संघ (2017) 3 एससीसी 501:[2017] 1

एससीआर 556; गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ (2014) 6

एससीसी 590:[2014] 5 एस. सी. आर. 303; मनोहर लाल शर्मा

एफ.

v. प्रधान सचिव और अन्य (2014) 9 एससीसी 516:[2014] 8 एस. सी. आर. 446; लक्ष्मी बनाम भारत संघ (2014) 4 एस. सी. सी. 427; पुनःध्वनि प्रदूषण (वी), (2005) 5 एससीसी

733:[2005] 1 पूरक।एस. सी. आर. 624; पर्यावरण और

उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य। [वृंदावन विधवाएँ] (2017) 16 एस. सी. सी. 780:एम. सी. मेहता [ताज ट्रैपेज़ियम] बनाम भारत संघ (1997) 2 एस. सी. सी.

जी.

353 :[1996] 10 पूरक।एस. सी. आर. 973; विशाखा बनाम राजस्थान राज्य [सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू] (1997) 6 एस. सी. सी. 241:[1997] 3

पूरक।एससीआर 404; उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान ए

एच.

केंद्र बनाम भारत संघ [आई. एल. ओ. एस्बेस्टस सम्मेलन]

(1995) 3 एससीसी 42:[1995] 1 एस. सी. आर. 626; सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) 4 एस. सी. सी. 494:[1979] 1 एससीआर

392 ; चार्ल्स सोबराज बनाम सुप्टेड।केंद्रीय जेल, तिहाड़

(1978) 4 एससीसी 104:[1979] 1 एस. सी. आर. 512; शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) 2 एस. सी. सी. 96:[1983] 2

बी.

एस. सी. आर. 337; प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन

(1980) 3 एससीसी 526:[1980] 3 एससीआर 855;

आर. डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और

अन्य (2007) 15 एस. सी. सी. 337:[2006] 3 एस. सी. आर. 1132-संदर्भित।

सी.

मामला कानून संदर्भ

(2016) 10 एस. सी. सी. 709

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[2002] 1 एससीआर 839

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

(2014) 2 एस. सी. सी. 786

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

डी.

[1986] 1 एससीआर 312

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1989] 3 एससीआर 997

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

(2011) 5 एससीसी 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1980] 3 एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

ई.

[1983] 2 एससीआर 337

संदर्भित किया गया है

पैरा 1

[1996] 10 पूरक।एस. सी. आर. 284 पैरा 1 [1997] 2 एस. सी. आर. 379 पैरा 2 (2018) 4 एस. सी. सी. 433 पैरा 2 (2016) 7 एस. सी. सी. 498 पैरा 2 [2017] 1 एस. सी. आर. 556 पैरा 2 [2014] 5 एस. सी. आर. 305 पैरा 2 [2014] 8 एस. सी. आर. 446 पैरा 2 (2014) 4 एस. सी. सी. 427 पैरा 2 [2005] 1 सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।पैरा 2 (2017) 16 एस. सी. सी. 780 को संदर्भित एस. सी. आर. 624 पैरा 2 को संदर्भित

एफ.

जी.

एच.

[1996] 10 पूरक।एस. सी. आर. 973 पैरा 2 [1997] 3 सप्लीमेंट को संदर्भित करता है। एस. सी. आर. 404 पैरा 2 [1995] 1 एस. सी. आर. 626 पैरा 2 [1979] 1 एस. सी. आर. 392 पैरा 10 [1979] 1 एस. सी. आर. 512 पैरा 10 [1983] 2 एस. सी. आर. 337 पैरा 10 [1980] 3 एस. सी. आर. 855 पैरा 10 [2006] 3 एस. सी. आर. 1132 पैरा 10

बी.

सी.

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2013 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 406।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।गौरव अग्रवाल (एसी)

डी.

याचिकाकर्ता के लिएःडाक द्वारा

ए. एन. एस. नाडकर्णी, ए. एस. जी., विकास महाजन, एस. एस. शमशेरी और भाटी, ए. ए. जी., आलोक अग्रवाल, सदस्य सचिव (एन. ए. एल. एस. ए.), सुश्री बीनू टम्टा, आर. एम. बजाज, आर. बाला, सुश्री आरती शर्मा, सुश्री सुषमा सूरी, सुश्री सुषमा मनचंदा, एम. के. मारोरिया, सुश्री सुहासिनी सेन, रितेश कुमार, बी. वी. बलराम दास, जी. एस. मक्कर, सुश्री अनीता शेनॉय, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, अनिल श्रीवास्तव, ऋतुराज बिस्वास, शुभदीप रॉय, सयोज मोहनदास एम., एम. विसेन, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, तपेश कुमार सिंह, मोहम्मद।वकास, आदित्य प्रताप सिंह, वी. एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, सी. के. शशि, सुश्री नयनतारा रॉय, राजेश श्रीवास्तव, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत आर. कटनेश्वरकर, लीशांगथेम रोशनी के. एच., सुश्री मैबाम बबीना, रंजन मुखर्जी, डैनियल स्टोन लिंगदोह, के. वी. खार्लिंगदोह, के. एन. मधुसूदनन, सुश्री नित्या मधुसूदनन, टी. जी. नारायणन नायर, श्रीमती के. एनाटोली सेमा, अमित कुमार सिंह, जेड. एच. इसाक हैडिंग, सुश्री नंदिनी सिंगला, सुश्री एन.

ई.

एफ.

जी.

एच.

सुश्री आरती कुमार, अशोक पाणिग्रही, सुश्री जसप्रित गोगिया, अमित शर्मा, संदीप सिंह, अंकित राज, सुश्री रुचि कोहली, सुश्री प्रगति नीखरा, सुश्री इंदिरा भाकर, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, सुश्री गीतांजलि (मेसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए) शुभदीप रॉय, ऋतुराज बिस्वास, एम. योगेश कन्ना, सुश्री सुजाता बागड़ी, एस. पार्थ सारथी, गर्वेश काबरा, अमित कुमार सिंह, रोहित पांडे, सुश्री रचना श्रीवास्तव, सुश्री मोनिका, सुहान मुखर्जी, हर्ष हीरू गुरसाहनी, सुश्री आस्था शर्मा, अभिषेक मनचंदा, सुश्री काजल दलाल (पीएलआर चैंबर्स एंड कंपनी के लिए), भुपेश नरूला, केवी जगदीशवरन, श्रीमती जी इंदिरा, वी. जी. प्रगसम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन, एस. मनुराज, कुमार, सुश्री प्रज्ञा सिंह, सत्यप्रत्यर्थीगणओं के लिए।न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

बी.

सी.

मदन बी. लोकुर, जे. 1.इन वर्षों में, जनहित याचिका ने इस न्यायालय द्वारा किए गए हस्तक्षेपों और जारी किए गए निर्देशों के माध्यम से भारी सामाजिक परिवर्तन लाया है।इस न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार के स्वतः संज्ञान 1 प्रयोग द्वारा, बहुत कम ही, जनहित याचिका शुरू की गई है।अधिकांश अवसरों पर, यह कार्यकर्ता व्यक्तियों या संगठनों द्वारा दायर एक रिट याचिका के माध्यम से शुरू किया गया है।पुनः, बहुत कम, यह इस न्यायालय द्वारा प्राप्त एक संचार के आधार पर शुरू किया गया है। 2.पिछले कई दशकों के दौरान, जनहित याचिका ने इस न्यायालय को पर्यावरण, सामाजिक न्याय, मानवाधिकारों के उल्लंघन और संविधान के अनुच्छेद 21 की अवहेलना से संबंधित मुद्दों पर विचार करने के लिए मजबूर किया है; या तो शासन के अभाव के कारण राज्य द्वारा अधिनियमित कानूनों को ईमानदारी से लागू करने में विफलता के कारण।

डी.

ई.

एफ.

1 सुओ मोटू रिट याचिकाएँः

इन रेःबच्चे की डेंगू से मृत्यु के बाद माता-पिता द्वारा जीवन समाप्त करने पर आक्रोश, (2016) 10 एस. सी. सी. 709, पुनः:तमिलनाडु बनाम भारत संघ में शरण आग में 25 जंजीरबंद कैदियों की मृत्यु, (2002) 3 एससीसी 31, पुनः:भारतीय महिला का कहना है कि बिजनेस एंड फाइनेंशियल न्यूज, (2014) 2 एससीसी 786 में प्रकाशित ग्राम अदालत के आदेश पर सामूहिक बलात्कार किया गया

2 दाखिल की गई रिट याचिकाएँः

एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ [ओलियम गैस रिसाव], (1986) 2 एस. सी. सी. 176, पं. परमानंद कटारा बनाम भारत संघ, (1989) 4 एससीसी 286, बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ, (2011) 5 एससीसी 1

जी.

3 पत्र याचिकाएँः

प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, (1980) 3 एस. सी. सी. 526, शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1983) 2 एस. सी. सी. 96, D.K.Basu बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, (1997) 1 एस. सी. सी. 416

एच.

84

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 12 एस सी आर।

संसद 4 या राज्य द्वारा कुशासन के कारण, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन जो बड़े पैमाने पर अवैधता की ओर ले जाते हैं।संविधान में निहित विशेष रूप से अनुच्छेद 21 को छोड़कर, जब कोई संचारी कानून नहीं है, तो इस अंतर को भरने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने में राज्य की विफलता के परिणामस्वरूप जनहित याचिका दायर की गई है और कम से कम दो मामले जहां संधि दायित्व को पूरा किया जाना चाहिए।

बी.

3. हाल के दिनों में, आमतौर पर और खेदजनक रूप से, राज्य ने जनहित याचिका के विचार को चुनौती देने या 'न्यायिक सक्रियता' या 'शक्तियों के पृथक्करण' के मंत्र का जाप करके इसे बदनाम करने का विकल्प चुना है।ज्यादातर मामलों में, ये मंत्र कुछ और नहीं बल्कि कानून के शासन के अस्तित्व को पहचानने में राज्य की विफलता और देश के लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने की आवश्यकता को कवर करने के लिए एक अंजीर पत्र हैं, जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है।इस बात का अहसास होना चाहिए कि जनहित याचिका ने समाज के लाखों हाशिए के वर्गों, महिलाओं और बच्चों को आवाज दी है।जनहित याचिका न्यायशास्त्र में भारत के अधिक महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है। वास्तव में, भारतीय अनुभव ने कुछ अन्य देशों को अपने न्यायशास्त्र में जनहित याचिका शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

सी.

डी.

4. इसका मतलब यह नहीं है कि जनहित याचिका का दुरुपयोग नहीं किया गया है या कभी-कभी इस न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र को पार नहीं किया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जहां भी यह न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र को पार कर गया है, वह हमेशा प्रशासनिक कुशासन या शासन की अनुपस्थिति से प्रेरित होकर देश के लोगों के हित में रहा है।इसलिए, दोनों पर कभी-कभार उल्लंघन होते हैं।

ई.

4 शासन का अभावः

एफ.

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ, (1997) 10 एस. सी. सी. 549, संपूर्ण बेहुरा बनाम भारत संघ, (2018) 4 एस. सी. सी. 433, स्वराज अभियान बनाम भारत संघ, (2016) 7 एस. सी. सी. 498 5 कुशासनः

कॉमन कॉज बनाम भारत संघ, (2017) 3 एससीसी 501, गोवा फाउंडेशन बनाम भारत संघ, (2014) 6 एससीसी 590, मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव और अन्य, (2014) 9 एससीसी 516

6 जब कोई परिचालन कानून नहीं हैः

जी.

लक्ष्मी बनाम भारत संघ, (2014) 4 एस. सी. सी. 427, पुनः:ध्वनि प्रदूषण (वी), (2005) 5 एस. सी. सी. 733, पर्यावरण और उपभोक्ता संरक्षण फाउंडेशन बनाम भारत संघ और अन्य। [वृंदावन विधवाएँ] (2017) 16 एस. सी. सी. 780, एम. सी. मेहता [ताज ट्रैपेज़ियम] बनाम भारत संघ, (1997) 2 एस. सी. सी. 353

7 संधि दायित्वः

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य [सी. ई. डी. ए. डब्ल्यू.], (1997) 6 एस. सी. सी. 241, उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केंद्र बनाम भारत संघ [आई. एल. ओ. एस्बेस्टस सम्मेलन], (1995) 3 एस. सी. सी. 42 ए.

एच.

लेकिन यह कुछ गलतियों को सुधारने और जवाबदेही और मामलों में पारदर्शिता के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के गैर-विरोधी स्रोत के रूप में जनहित याचिका के महत्व को कम नहीं कर सकता है।

5. यहाँ तक कि कैदियों के अधिकारों से संबंधित वर्तमान याचिका, जो इस न्यायालय द्वारा भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश से प्राप्त पत्र के आधार पर शुरू की गई थी, का शुरू में राज्य द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन विद्वान अटॉर्नी जनरल के हस्तक्षेप से ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मनिरीक्षण और सुधार की आवश्यकता को मान्यता दी गई है और इस संबंध में भारत संघ द्वारा रुचि की एक सकारात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति दिखाई गई है। वर्तमान याचिका पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर. सी. द्वारा दिखाई गई चिंता से उत्पन्न हुई। लाहोटी चार मुद्दों पर, अर्थात्, जेलों में भीड़भाड़; कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु; कर्मचारियों की घोर अपर्याप्तता; और उपलब्ध कर्मचारियों का अप्रशिक्षित या अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित होना।जब से यह याचिका लंबित है, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कई निर्देशों के बावजूद, कैदियों के अधिकारों के लिए अभी तक कोई अंतिमता नहीं जोड़ी गई

है।इसके विपरीत, जिन मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, वे कई गुना बढ़ गए हैं और विचार के लिए नए रास्ते खुल गए हैं।

बी.

सी.

डी.

6. इस प्रस्तावना के साथ, इससे पहले कि हम वास्तव में विद्वान महान्यायवादी द्वारा स्वीकार किए गए सहमत निर्देशों को पारित करें, कैदियों के अधिकारों के मुद्दे पर अतीत में किए गए प्रयासों से संबंधित कुछ पृष्ठभूमि तथ्य देना आवश्यक है।

ई.

कैदियों के अधिकारों पर पहले के प्रयास

7. कैदियों के अधिकारों से संबंधित पहला प्रयास जेल सुधारों पर अखिल भारतीय समिति, 1980-1983 की रिपोर्ट के माध्यम से किया गया था, जिसे आमतौर पर मुल्ला समिति के रूप में जाना जाता है।मुल्ला समिति द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया, जबकि कुछ को स्वीकार नहीं किया गया।लेकिन जो अधिक महत्वपूर्ण है वह सजा के उद्देश्य और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लाए जाने वाले परिवर्तनों से संबंधित चर्चा है।ये प्रश्न आज भी मान्य हैं और उत्तर की मांग करते रहते हैं।

एफ.

जी.

8. 1987 में, महिला कैदियों पर न्यायमूर्ति वी. आर. कृष्ण अय्यर समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें एक हाशिए पर रहने वाले समूह के रूप में महिला कैदियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की गईं।भारत के विधि आयोग ने अपनी 78 वीं रिपोर्ट में विशेष रूप से जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ से निपटने के लिए कैदियों के अधिकारों पर भी विचार किया।पुलिस अनुसंधान ब्यूरो और

एच.

विकास (बी. पी. आर. एंड डी.) ने भी 2007 में अपने महानिदेशक की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट दी।अन्य बातों के अलावा, जेल सुधार और सुधारात्मक प्रशासन पर एक राष्ट्रीय नीति भी बनाई गई थी।

9. उपरोक्त के अलावा, कुछ निजी और व्यक्तिगत प्रयास किए गए हैं, जिनमें 2005 में राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल द्वारा भारत में जेल यात्रा प्रणाली पर एक रिपोर्ट शामिल है। जेलों के लिए नियुक्त आगंतुकों की जिम्मेदारियां मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ के फैसले का विषय थी।

बी.

रानचोड बनाम एम. पी. राज्य और ए. एन. आर. 8 मृत्युदंड पर केंद्र

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली ने 2016 में दो खंडों की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, मौत की सजा पाए कैदियों की स्थितियों और उनके साथ व्यवहार पर चर्चा की गई।राजस्थान और बिहार की जेलों में अपने अनुभवों पर स्मिता चक्रवर्ती द्वारा संचालित खुली जेलों पर भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया है जो मौलिक महत्व का है।

सी.

10. दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर और वर्तमान याचिका के साथ-साथ आर. डी. उपाध्याय में दिए गए कई महत्वपूर्ण फैसलों के अलावा, अभिलेख पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध है।

डी.

v. आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य।10

11. इसे ध्यान में रखते हुए और पहले के प्रयासों के बावजूद जेल प्रशासन और जेल प्रबंधन में सुधारों की सख्त आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अटॉर्नी जनरल को न केवल इस याचिका में उठाए गए मुद्दों की पूरी श्रृंखला पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने की व्यवहार्यता पर विचार करने के लिए कहा गया था, बल्कि अन्य मुद्दे भी जो कई तारीखों और समय-समय पर सुनवाई के दौरान सामने आए हैं।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विद्वान महान्यायवादी ने एक समिति की नियुक्ति के सुझाव को स्वीकार कर लिया।अतः निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैंः

ई.

एफ.

12. भारत सरकार में गृह मंत्रालय तुरंत एक अधिसूचना जारी करेगा जिसमें जेल सुधारों पर सर्वोच्च न्यायालय की एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें शामिल हैंः

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताव राय, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं।

जी.

8 MANU/MP/0313/1987

9 सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन (1978) 4 एस. सी. सी. 494; चार्ल्स सोबराज बनाम सूपर्ड।केंद्रीय जेल, तिहाड़ (1978) 4 एस. सी. सी. 104; शीला बारसे बनाम महाराष्ट्र राज्य (1983) 2 एस. सी. सी. 96; प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन (1980) 3 एस. सी. सी. 526

10 (2007) 15 एससीसी 337 ए

एच.

87

1382 जेलों में पुनः मानव शर्तें [मदन बी. लोकुर, जे.] ए.

2. पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो इसके सदस्य के रूप में

3. महानिदेशक (कारागार) तिहाड़ जेल, नई दिल्ली इसके सदस्य के रूप में।13. समिति अपनी संदर्भ शर्तों के रूप में निम्नलिखित मुद्दों पर अपनी सिफारिशें देगीः

बी.

1. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यू. टी.) द्वारा मॉडल जेल नियमावली 2016 में निहित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करें।2. महिलाओं के सशक्तिकरण पर संसदीय समिति द्वारा संसद में 'महिला निरोध और न्याय तक पहुंच' शीर्षक से पेश अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा करें और इस संबंध में गृह मंत्रालय (एम. एच. ए.) द्वारा जारी परामर्श की समीक्षा करें।

सी.

3. पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी. पी. आर. एंड डी.) द्वारा तैयार किए गए जेल कर्मियों के लिए दो प्रशिक्षण नियमावली की समीक्षा करने के लिए, 'जेल अधिकारियों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण नियमावली 2017' और 'जेल वार्डरों के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण नियमावली 2017' राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई।

डी.

4. राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली के सहयोग से महिला और बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट में 'जेलों में महिलाएं' पर की गई सिफारिशों की समीक्षा करें।

ई.

5. राष्ट्रीय महिला आयोग की 'जेलों/जेलों/अभिरक्षा गृहों में रहने वाली महिलाओं के निरीक्षण' पर रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की समीक्षा करें।

6. महिला और बाल विकास मंत्रालय (एम. डब्ल्यू. सी. डी.) द्वारा तैयार किए गए 'कानून के साथ संघर्ष में बच्चों के लिए संस्थानों में रहने की स्थिति' में निहित दिशानिर्देशों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) मॉडल नियम, 2016 के तहत एम. डब्ल्यू. सी. डी. द्वारा तैयार किए गए मॉडल नियमों और प्रक्रियाओं के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कार्यान्वयन की समीक्षा करें।

एफ.

जी.

7. एम. एच. ए. द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी दिशा-निर्देशों और परामर्शों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें।

8. समिति उपरोक्त के आधार पर अपनी समेकित सिफारिशें दे सकती है और उपरोक्त दिशानिर्देशों और परामर्शों के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपाय सुझा सकती है।

एच.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध बजटीय संसाधनों के अधीन।

9. जेलों और सुधार गृहों में भीड़भाड़ की सीमा की जांच करना और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना, जिसमें विचाराधीन समीक्षा समितियों के कामकाज की जांच, कानूनी सहायता और सलाह की उपलब्धता, छूट, पैरोल और छुट्टी देना शामिल है।

एसएल ओ।ए)

बी.

(i)(ख)

10.जेलों और सुधार गृहों में हिंसा की जांच करना और अप्राकृतिक मौतों को रोकने के उपायों की सिफारिश करना और जेलों और सुधार गृहों में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन करना और इस संबंध में सिफारिशें करना।

सी.

11. जेलों और सुधार गृहों में कर्मचारियों की उपलब्धता और अपर्याप्तता का आकलन करना और उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करना।

iii)

12.सुझावों को लागू करने की दृष्टि से जेलों और सुधार गृहों में कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और शैक्षिक मॉड्यूल का सुझाव देना।

डी.

13.खुला कारागार स्थापित करने की व्यवहार्यता, देश के विभिन्न हिस्सों में खुला कारागार स्थापित करने की संभावना और क्षमता का आकलन करना और सिफारिशों को प्रभावी बनाना।

(iv)

14. महिला कैदियों के नाबालिग बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सहित मनो-सामाजिक कल्याण के लिए कदमों की सिफारिश करना।15. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत साबित अवलोकन गृहों, सुरक्षा स्थलों और विशेष गृहों में बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, पुनर्वास और सामाजिक एकीकरण के उपायों की जांच और सिफारिश करना।

ई.

v)

एफ.

vi)

16. आम तौर पर, कोई भी अन्य सिफारिश जो समिति जेलों और सुधार गृहों में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए उचित, उपयुक्त और उचित मान सकती है।

17.समिति अपने सुझाव और सिफारिशें देते समय आधुनिक जेल नियमावली, 2016 में निहित विभिन्न दिशानिर्देशों में परिवर्तन या संशोधन और भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों का भी सुझाव दे सकती है।14. समिति से अनुरोध है कि वह संदर्भ की पहली तीन शर्तों के संबंध में अपनी सिफारिशें, अधिमानतः उस तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर दे जिस दिन भारत सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

जी.

vi i)

एच.

उ. एतद्द्वारा यह निर्देश दिया जाता है कि समिति का अध्यक्ष वित्तीय लाभों का हकदार होगा जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए उपलब्ध है।समिति के अध्यक्ष के अन्य नियम और शर्तें विद्वान महान्यायवादी द्वारा निम्नानुसार स्वीकार की जाएंगीः

एसएल ओ।	पी. आर. टी. सी. यू. एल. ए. आर. एस. ऑफ टर्म्स एंड कोएंडिशन्स	एक सीसेप टेड
ए)	सीएच एयरपर्सो एन	
(i)	अवशेष एक सी. सी. ओ. एम. एम. ओ. डी. एशन	एस. पी. ई. सी. आई. अल मामले के रूप में, पी. ए. वाई. के 3 0% की दर से एफ. एच. आर. ए. का भुगतान करें।
(ख)	एलटी सी	0. 8. 10 दिनांकित ओ. एम. के टी. ए. आर. एम. में ए. एस. एड मिस सिब ले टू हिग इस्ट जी. आर. ए. डी. ई. ऑफ जी. ओ. वेर एन. एम. टी. ओ. एफ. आई. सी. यू. एन. डी. आर. एल. टी. सी. रु. लेस। 19 87 (के रूप में समीक्षा एड)।
iii)	स्टाफ कार	यदि कर्मचारी कार एम. एच. ए. द्वारा बनाई जा सकती है तो कर्मचारी कार पी. आर. वी. डी. ई. हो सकती है। यदि कर्मचारी कार पी. आर. वी. डी. ई. डी. ई. डी. ई. डी. ई. डी. ई.

		डी. ई. ई. डी. ई. डी. ई. डी. ई. ई. डी. ई.
(iv)	ट्रैवेलिन जी ए लो वान सीई	ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एन. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एम. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एम. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एम. टी. पर ए. पी. ओ. आई. एम. टी. पर ए. पी. ओ हवा में

		रहने वाले व्यक्ति के लिए किसी भी तरह की गलती न हो तो वापस लौटें और यदि परिवार की झिल्ली हवा में चली जाती है तो वापस लौटें।
v)	चिकित्सकीय सुविधा	सी. जी. एच. एस. के साथ, आप पहले से ही एम. एडिकल सुविधाओं के लिए नामित हैं।
vi)	टेलीप हो ने	ई/एम. ओ. बाइल/इंटरनेट सुविधा एम. ए. वाय. बी. ई. पर ओ. एन. ई. रेसिड एन टियाल टी. एलिफेंट ई. डी. 1 4.11 पर एम. ओ. एफ. के ओ. एम. डी. के संदर्भ में जी. ओ. आई. को ऐप लाईकैब ले से सेकटर एटेरी के रूप में प्रतिपूर्ति के लिए सी. एच. एयर मैन को एड करने की अनुमति देता है। 20 06 & 11. 05 पर ओ. एम. डी. 2 01 2 (जैसा कि आर. ई. वी. आई. एस. ई. डी.), यू नोस आलरेड वाई. पी. ओ. एस. एस. एस. सिंग सु च फेसी ली टाइज़।
vi i)	न्यू एस पेपर एंड एम पत्रिकाएँ	ई/एस ओ. एम. एन. ओ. के अनुसार एन. ई. डब्ल्यू. एस. पी. ए. पी. ए. आर./मैग एज़िन एस. का एस. यू. पी. एल. ई. ए. आर. लेटेड हो सकता है। 1(24)-ई. आई आई

		(ए)/96 डी 13.0 9.1 99 6 पर (आर ईविस एड के रूप में)।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

90

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2018] 12 एस सी आर।

बी. चूंकि 'सेवा में' अधिकारियों को समिति के हिस्से के रूप में नियुक्त किया जाएगा, इसलिए इन अधिकारियों को 'ऑन ड्यूटी' माना जाएगा।अधिकारी लागू नियमों के अनुसार सभी भत्तों और लाभों के हकदार होंगे।

ग. उपरोक्त समिति की संरचना को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तुरंत अधिसूचित किया जाएगा।घ. समिति का कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा।

बी.

ई. समिति भारत संघ को संदर्भ की शर्तों का जवाब देने के लिए आवश्यक कर्मियों सहित बुनियादी ढांचे के समर्थन की अपनी आवश्यकताओं के बारे में बताएगी।मानव शक्ति सहित आवश्यक बुनियादी ढांचा गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

सी.

च. ऊपर बताए गए सभी भुगतान भारत संघ द्वारा किए जाएंगे।

दिशा-निर्देश

डी.

1. समिति उपरोक्त संदर्भ की पहली तीन शर्तों के अलावा जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें करेगी।यह, यदि आवश्यक हो, सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले पर रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है।यह राज्य सरकारों को अपनी सिफारिशें भी देगा।

ई.

2. समिति अपनी प्रक्रिया तैयार करेगी और कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक तौर-तरीके तैयार करेगी।यह ऐसे सलाहकारों, संस्थागत सलाहकारों और विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकता है जिन्हें वह किसी विशेष उद्देश्य के लिए आवश्यक समझता है।यह ऐसी जानकारी की मांग कर सकता है और ऐसा सबूत ले सकता है जो वह आवश्यक समझे। सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग समिति की आवश्यकता के अनुसार ऐसी जानकारी, दस्तावेज और अन्य सहायता प्रदान करेंगे।

एफ.

जी.

3. हम समिति से अनुरोध करते हैं कि वह आंकड़ों और सूचनाओं के संग्रह को पूरा करे और उचित सिफारिशें करे और अधिमानतः 12 महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय को प्रस्तुत करे।4. समिति राज्यों का दौरा कर सकती है और राज्य सरकारों के संबंधित अधिकारियों के साथ बातचीत कर सकती है।राज्य ए के सभी प्राधिकरण

एच.

91

1382 जेलों में पुनः मानव शर्तें [मदन बी. लोकुर, जे.]

सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को समिति के साथ पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया जा सकता है।यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे समिति के साथ सहयोग करें और संबंधित अधिकारियों तक इसकी यात्रा और पहुंच की सुविधा प्रदान करें।

5. यदि आवश्यक लगे तो समिति आगे कोई स्पष्टीकरण या निर्देश प्राप्त करने के लिए इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होगी।

बी.

6. भारत सरकार किसी भी सहायता के लिए समिति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर भारत के एक अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की सेवाएं लेगी।

7. जैसे ही अंतिम रिपोर्ट की एक प्रति प्रस्तुत की जाती है, मामले को आगे के आदेशों के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

सी.

15. विद्वान न्यायमित्र द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रिट याचिका को पुनर्जीवित और सूचीबद्ध किया जा सकता है।हम विद्वान न्यायमित्र द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हैं जिन्होंने हमारी सहायता करने में काफी समय दिया है और समय-समय पर, सकारात्मक तरीके से और कैदियों के मानवाधिकारों की मान्यता और कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए मूल्यवान सुझाव दिए हैं।

डी.

अंकित ज्ञान

निर्देश जारी किए गए।

ई.

एफ.

जी.

एच.